FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम नि० कचनपुर बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा – दावा अ धारा 88 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर 128/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.08.2025	वादी राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम यादव जाति यादव अहीर नि0 कचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने उपस्थित होकर एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का पेश किये जाने पर मूल वादपत्र को जॉच हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मूल ही प्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा सम्बन्धित पटवारी हल्का कचंनपुर से जॉच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का कचंनपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2083/भू.अ./2025 दिनाक 08.07.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को भिजवाई गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादपत्र को अन्तर्गत धारा–88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम कचंनपुर के भूमि खसरा संख्या 422 रकबा 0.43 हैक्टर व 423 रकबा 0.94 हैक्टर में राजेन्द्र प्रसाद पुत्र घासीराम जाति अहीर दर्ज है जो नामान्तकरण संख्या 678 से रिकार्ड में आया है। राजस्व ग्राम कचंनपुर के खसरा नम्बर 482, 483, 488, 503 कुल किता 4 कुल रकबा 5.01 हैक्टर में राजेन्द्र कुमार पुत्र घासी दर्ज है जो विरासत के नामान्तकरण संख्या 1513 से रिकार्ड में आया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र तथा अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक आदि की जॉच करने पर प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम यादव जाति अहीर दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र घासीराम व राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम यादव एक ही व्यक्ति का नाम है तथा प्रार्थी को राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम यादव के रूप में ही जाना पहचाना जाता है। जिसे दुरूस्त किये जाने बाबत अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का कचंनपुर व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दस्तावेजात ग्राम पंचायत कचंनपुर, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटो प्रति, बैंक पासबुक की फोटोप्रति नामान्तकरण संख्या 678, 1513 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कचंनपुर के भूमि खसरा नम्बर 422, 423 में खातेदार रामकिशोर पुत्र शंकरलाल जाति अहीर के द्वारा अपने हिस्सा 1/2 व हिस्सा 22/47 का बैचान राजेन्द्र प्रसाद पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर को जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख के माध्यम से बैचान किये जाना तथा उक्त बैचान से नामान्तकरण संख्या 678 दिनांक 23.01.2013 के द्वारा स्वीकृत होकर खातेदारी वादी के नाम दर्ज होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है तथा इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र घासी जाति अहीर (यादव) सा. देह के नाम दर्ज होना प्रकट होता है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र में भी वादी का सही नाम राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम यादव जाति अहीर (यादव) निवासी तन् ग्राम पृथ्वीपुरा अंकित होना प्रकट होता है। जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कचंनपुर पटवार हल्का कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 0.4300 हैक्टर में हिस्सा 1/2 एंव खसरा नम्बर 423 रकबा 0.9400 हैक्टर मे हिस्सा 11/47 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र घीसाराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम यादव एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 482, 483, 488, 503 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 5.0100 हैक्टर में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:22 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

हिस्सा 1/12 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र घासी के स्थान पर राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र घासीराम यादव घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:22 IST
Reason: SelfAttested